न्यायालय जिला कलक्टर सीकर

पीठासीन अधिकारी, सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 17/2015/अपील

झीमकौरी पत्नी स्व. बीरबल, जाति जाट निवासी बैरास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर।

अपीलान्ट

बनाम

1. जमनाधर पुत्र गोमाराम, जाति जाट निवासी बैरास, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत सहनुसर, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 05.07.2010 द्वारा प्रस्ताव संख्या 1 ग्राम पंचायत सहनुसर, पंचायत समिति फतेहपुर

निर्णय

निर्णय दिनांकः 18 मार्च, 2019

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) भूमि खसरा नम्बर 106 रकबा 7.95 हैक्टेयर वाके ग्राम सहनुसर अपीलान्ट के खातेदारी का है जिसमें से होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अथवा अन्य किसी का कोई रास्ता व पगडण्डी कभी भी आवागमन के लिए नहीं रहा है और ना ही अब है। जब रास्ता रहा ही नहीं है और ना ही अब रहा है तो अपीलान्ट द्वारा रास्ता बन्द करने का प्रश्न ही नहीं है।

(2) अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 106 के खातेदार बीरबल पुत्र हरिराम की पत्नी है। बीरबल का देहान्त हो चुका है। बीरबल के खातेदारी अधिकार अपीलान्ट में न्यस्त हो जाने से अपीलान्ट कानूनन अपील पेश करने की अधिकारिणी है। अपीलान्ट ग्राम पंचायत सहनुसर के प्रस्ताव संख्या 1 निर्णय दिनांक 05.07.2010 से व्यथित पक्षकार है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अवैध रूप से बिना विधि

18/3/19
कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

सम्मत प्रकिया अपनाये गणपूर्ति के अभाव में, अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही निर्णय दिनांक 05.07.2010 पारित किया है।

(3) अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव संख्या दिनांक 05.05.2010 द्वारा बिना अपीलान्ट को सूचित किये कमिशनर नियुक्त किये हैं। ना तो कमिशनर नियुक्ति के पूर्व ग्राम पंचायत में ही अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया है और ना ही कभी कोई मौका निरीक्षण किया गया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कमिशनर श्री गुलाब चन्द सैनी व ममता देवी को व सरपंच स्वयं को कमिशनर नियुक्त किया है, जबकि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 05.05.2010 में ममता देवी पंच उपस्थित नहीं थी। गुलाब चन्द सैनी व ममता देवी दोनों ही ग्राम बैरास के पंच हैं जबकि विवाद खेत खसरा नम्बर 106 व 109 ग्राम सहनुसर में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर के रास्ते बाबत कमिश्नर्स ग्राम सहनुसर के पंचों को ही कमिशनर नियुक्त किया जा सकता है तथा सरपंच स्वयं को भी कमिशनर नियुक्त किया जाना विधि सम्मत नहीं है क्योंकि निर्णय सरपंच की अध्यक्षता में होना है जो स्वयं पीठासीन अधिकारी होकर कमिश्नर नियुक्त नहीं हो सकता है।

(4) खेत खसरा नम्बर 108 ग्राम रोही सहनुसर में स्थित है। इस खेत का रास्ता ग्राम सहनुसर में खसरा नम्बर 99, 102, 104 में से होता हुआ खेत खसरा नम्बर 107 तक आता है। उक्त खेत खसरा नम्बर 107 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के सगे ताऊ चिमनाराम का है। पूर्व में खेत खसरा नम्बर 107 व 108 की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता गोमाराम व सगे ताऊ चिमनाराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। कालान्तर में बंटवारा होने पर खातेदारी अलग हुई है। खेत खसरा नम्बर 107 तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कटानी रास्ता उपलब्ध होने पर मात्र आवश्यकता जनित सुखाधिकार के आधार पर नया रास्ता क्लेम नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार ग्राम बैरास से टांई पाटोदा जाने वाला कटानी रास्ता भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 108 के सहारे से गुजरता है। उक्त दोनों कटानी रास्ते से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का आवागमन करता रहा है।

(5) अधीनस्थ ग्राम पंचायत सहनुसर के समक्ष दिनांक 05.05.2010 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से रास्ता खुलवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें रास्ता किस खसरा नम्बर में किस लम्बाई चौड़ाई से बन्द किया गया है, इसका कोई विवरण पेश नहीं किया गया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि के खातेदार स्वामियों को नोटिस देना चाहिए था तथा शिकायत का समुचित प्रत्युतर प्रस्तुत करने हेतु

जिला कलक्टर (राज.)

14/3/11
कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अवसर दिया जाना कानूनन आवश्यक था। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपीलान्ट खातेदार काश्तकारों को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना, बिना कोई विधिक प्रकिया अपनाये सीधे ही मौका कमिश्नर नियुक्त कर दिया जो विधि एवं प्रकिया के प्रतिकुल है।

(6) शिकायतकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी शिकायत के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत के समक्ष पेश नहीं किया गया। दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के अभाव में तथा अपीलान्ट व भूमि खसरा नम्बर 106 के खातेदार काश्तकारों को सूचना व सुनवाई के अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा निर्णय दिनांक 05.07.2010 पारित किया है।

(7) धारा 251 आर टी एक्ट के तहत सुखाधिकार के आधार पर रास्ता खुलवाने का प्रारम्भिक क्षैत्राधिकार तहसीलदार को है। राज्य सरकार द्वारा 251 आरटी एक्ट के अधिकार प्रथम 45 दिन निर्णित करने क अधिकार पंचायतों को प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त मामले में शिकायत 05.05.2010 को की गई है। जिसे 45 दिन की अवधि में निर्णित करने का अधिकार पंचायत को था अर्थात दिनांक 19.06.2010 तक निर्णित करना था। उक्त मामल में दिनांक 05.05.2010 की शिकायत पर दिनांक 22.06.2010 को नोटिस जारी करने का आदेश किया तथा दिनांक 05.07.2010 को रास्ता खोलने का निर्णय लिया गया जिसे 45 दिन की अवधि अर्थात 19.06.2010 के बाद निर्णय करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत सहनुसर को नहीं थी, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 05.07.2010 क्षैत्राधिकार में नहीं थी।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर द्वारा पारित क्षैत्राधिकार विहीन आदेश दिनांक 05.07.2010 प्रस्ताव संख्या 1 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि राज्य सरकार द्वारा 251 आरटी एक्ट के अधिकार प्रथम 45 दिन निर्णित करने का अधिकार पंचायतों को प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रकरण में शिकायत 05.05.2010

जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

को की गई है। जिसे 45 दिन की अवधि में निर्णित करने का अधिकार पंचायत को था अर्थात दिनांक 19.06.2010 तक निर्णित करना था। उक्त प्रकरण में दिनांक 05.05.2010 की शिकायत पर दिनांक 22.06.2010 को नोटिस जारी करने का आदेश किया तथा दिनांक 05.07.2010 को रास्ता खोलने का निर्णय लिया गया जिसे 45 दिन की अवधि अर्थात 19.06.2010 के बाद निर्णय करने की अधिकारिता ग्राम पंचायत सहनुसर को नहीं थी, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2010 क्षैत्राधिकार में नहीं था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर द्वारा पारित क्षैत्राधिकार विहीन प्रस्ताव संख्या 1 आदेश दिनांक 05.07.2010 को निरस्त फरमाने श्रम करें।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अभिकथन किया कि राज्य सरकार द्वारा धारा 251 आर टी एक्ट के तहत सुखाधिकार के आधार पर रास्ता खुलवाने का प्रारम्भिक क्षैत्राधिकार पंचायतों को प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रकरण में दिनांक 05.05.2010 की शिकायत पर दिनांक 22.06.2010 को नोटिस जारी करने का आदेश किया तथा दिनांक 05.07.2010 को रास्ता खोलने का निर्णय लिया गया। प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 निर्णय दिनांक 05.07.2010 विधि सम्मत एवं कानूनन सही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाने का श्रम करें।

6. हमने अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :–

(1) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जमनाधर पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी बैरास तहसील फतेहपुर जिला सीकर द्वारा पंचायत समिति सहनुसर में खेत में आने–जाने का रास्ता खुलवाने बाबत **दिनांक 05.05.2005** को प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

(2) ग्राम बैरास के वार्ड नम्बर 10 के पंच ममता देवी तथा ग्राम बैरास के वार्ड नम्बर 11 के पंच गुलाब चन्द द्वारा दिनांक **15.06.2010 को मौका जांच रिपोर्ट** तैयार कर, ग्राम पंचायत सहनुसर में दिनांक **22.06.2010 को प्रस्तुत** की गई है।

(3) ग्राम पंचायत सहनुसर द्वारा दिनांक **22.06.2010** को मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर रास्ता खुलवाने बाबत नोटिस जारी किया है, जिसके अनुसार

जिला कलक्टर सीकर (राज.)

कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner

अन्दर मियाद 7 दिवस में रास्ता दुरस्त करने या स्पष्टीकरण देने हेतु लिखा गया है।

(4) ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर की बैठक कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार दिनांक **05.07.2010** को प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खेत में आने का रास्ता खसरा नम्बर 106 के खातेदारों द्वारा रोकना बताया गया है। प्रस्ताव में उक्त रास्ते को खोलने का निर्णय लिया गया है। प्रस्ताव की प्रति तहसीलदार फतेहपुर तथा अति. तहसीलदार फतेहपुर को भिजवाने हेतु लिखा गया है।

(5) राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 के अधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को उसकी प्राप्ति तिथि से 45 दिन तक सुनवाई किये जाने का अधिकार ग्राम पंचायत को ही है और ऐसे आवेदन पत्र सीधे ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं या तहसीलदार के मार्फत भेजे जा सकते हैं। यदि ग्राम पंचायत 45 दिन के अन्दर उक्त आवेदन पत्र का निर्णय करने में असफल रहती है तो उसका क्षैत्राधिकार एवं मामलों के लिए समाप्त हो जाता है तथा ग्राम पंचायत की उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार, जो क्षैत्राधिकार रखते हैं, को निर्णय किये जाने हेतु अग्रेषित करना होगा।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 निर्णय दिनांक 05.07.2010 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत जारी किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 04.09.1982 के अधीन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के अनुसार क्षैत्राधिकार विहीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। अतः **ग्राम पंचायत सहनुसर तहसील फतेहपुर द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 निर्णय दिनांक 05.07.2010 निरस्त** किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक : **18 मार्च, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/3/19

(सी. आर. मीना)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

Scanned by CamScanner